सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 395 राँची, गुरूवार, 18 अगस्त, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त, 2022

संख्या- खा.प्र. 01/ज.वि.प्र.कं./10-06/2020-2168,--राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य के लाभुक परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न वितरण किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (PHH) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) संचालित की जा रही है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित वैसे परिवारों, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की अर्हता पूरा करते हैं, उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लाभुक सदस्यों को 5 (पाँच) किलोग्राम चावल प्रति सदस्य उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक परिवारों को पात्रता के आधार पर खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य सामग्री यथा-नमक, चीनी आदि उपलब्ध कराया जाता है ।

2. विभिन्न योजनान्तर्गत लक्षित लाभुकों तक लाभ पहुँचे यह सुनिश्चित करने के लिए लाभुकों के आधार संख्या के साथ उनकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस हेतु आधार के Demographic Authentication Services, OTP Based Aadhar Authentication की सेवाएँ विभाग द्वारा प्राप्त की जाती हैं ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आधार अधिनियम, 2016 के धारा -4(4)(b)(ii) के अन्तर्गत विभाग के निम्न योजनाओं को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में अधिसूचित की जाती है:-

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न खाद्यान्न योजना।

(ii) मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी (CM-SUPPORTS) योजना।

(iii) सोना-सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना।

(iv) किरासन तेल वितरण योजना (DBT-K)

(v) राशनकार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएँ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र चौधरी,
सरकार के अपर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 395 - 50